**वित्तीय बजट या जिसे हम आम बजट कहते है वो क्या है ???**

हर वर्ष, सामान्यतः फ़रवरी के माह में केंद्र सरकार आपने कार्यकाल के बारह महीनो का बजट संसद में पेश करती है,जो एक अप्रैल से अगले वर्ष के ३१ मार्च तक के लिए होता है. यह बजट संसद में देश के वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है.

वास्तव में बजट, एक वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्चो का आकलन या एस्टीमेट होता है.एक ओर बजट में केंद्र सरकार के कुल सभी प्रकार के प्राप्तियों का आकलन होता है , वही दूसरी ओर इसमें केंद्र सरकार के सभी के सभी खर्चो का विवरण भी होता है.

प्राप्तियों में मुख्यतः सभी तरह की कर राजस्व प्राप्तियां जैसे आयकर, धनकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क , कस्टम, सर्विस टैक्स इत्यादि तथापूंजीगत प्राप्तियां जैसे पी.एस.यू विनिवेश से प्राप्त धन तथा अन्य प्राप्तियां जैसे व्याज, फीस इत्यादि समाविष्ट होती है.दूसरी ओर खर्चो में सरकारी कार्यलयों को चलाने का खर्च, स्वास्थ,शिक्षा, सेना, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि पर होने वाला खर्च तथा जन कल्याण योजनाओ पर होने वाला खर्च समाविष्ट होता है जिनका विवरण वित्त मंत्री द्वारा संसद में दिया जाता है.

**फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटा क्या है???**

वित्तीय घाटे या नुकसान का उल्लेख अक्सर बजट प्रस्तुति के समय होता है. जिसका अर्थ है : कुल राजस्व प्राप्तियों एवं तृणविहीन पूंजीगत प्राप्तियोंकोमिलाकर उसमे से कुल खर्च एवं नेट उधार घटाने पर प्राप्त होने वाला घटक जो की अधिकतर नुकसम ही होता है वित्तीय नुकसान या घाटा कहलाता है.

**बजट घाटा क्या है???**

कुल पूंजी एवं राजस्व प्राप्र्तियो में से कुल पूंजी एवं राजस्व खर्चो को घटाने पर प्राप्त हुआ घटकजो की अधिकतर नुकसम ही होता है बजट घाटा कहलाता है.

**प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर क्या है???**

सरकार की कुल प्राप्तियों में ७५% से ८०% प्राप्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर द्वारा की जाती है. इसलिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्क्ष करो को समझना काफी महत्वपर्ण है. जो कर सरकार द्वारा वस्तु(गुड्स) एवं सर्विसेज पे लगाया जाता है उसे अप्रत्यक्ष कर एवं इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है.

अप्रत्यक्ष कर को वस्तु एवं सर्विसेज के मूल्य में समाविस्ट करके उन वस्तु एवं सर्विसेज के मूल्य बढाकर उपभोक्ताओं द्वारा अप्रत्क्ष रूप से वसूला जाता है इसीलिए इस कर को अप्रत्क्ष कर कहा जाता है.अप्रत्यक्ष करो में उत्पादन कर (एक्साइज) , कस्टम,सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स (VAT & CST) इत्यादि का समाविस्ट होता है. केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है की वो सारे अप्रत्यक्ष करो को मिला के उनके प्रावधानों में बदलाव करके जी. स. टी (गुड्स एवं सर्विस टैक्स) ले आये जिससे की संपूर्ण भारत में अप्रत्क्ष कर समान रूप से लगाया जा सके एवं कार्यान्वित किया जा सके.

जो कर करदाताओ द्वारा सीधे सरकार को चुकाया जाता है उसे प्रतक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स के रूप में जाना जाता है. प्रत्यक्ष कर में आयकर सबसे प्रमुख है क्योकि राजस्व प्राप्ति का लगभग ५०% आयकर से ही प्राप्त होता है. आयकर, आयकर अधिनियम १९६१ के द्वारा संचालित होता है. आयकर की दरें हर वर्ष वित्तमंत्री द्वारा वित्त विधेयक में बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है. जैसे की इसके नाम से ही प्रतीत होता है आयकर व्यक्ति के आय पे लगाया जाता है.